भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 834
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

चुनाव घोषणापत्र

834. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लोक सभा और विधान सभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाले राजनीतिक दलों के लिए तीसरे वर्ष में अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के बारे में विवरण सार्वजनिक करने और सत्ता में आने के बाद अपने चुनाव घोषणापत्र का 75% पूरा करने में विफल रहने वाले दलों की मान्यता रद्द करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रावधान करने हेतु कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता । देश में विद्यमान निर्वाचन पद्धतियों में सुधार करने के लिए, सरकार, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचन विधियों, नियमों और विनियमों में, जब कभी ऐसी परिस्थितियां अपेक्षित हों, संशोधनों के लिए भिन्न-भिन्न कदम उठाती है ।

****